

मध्य प्रदेश शासन
 शिक्षा विभाग
 मंत्रालय
 वस्त्रान भवन, भोपाल-462004
 भोपाल, दिनांक

क्रमांक एफ/73-64/20-3/2004

प्रति

सचिव,
 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल,
 प्रीत विहार, नई दिल्ली।

विषय :-

अशासकीय शिक्षण संस्था सेन्ट्र पोपुलर हायर सेकेंडरी स्कूल, खण्डवा जिला
 खण्डवा, म.प्र. को सीबीएसई. / आई सी एस ई. नई दिल्ली से संबद्धता
 हेतु अनापत्ती प्रमाण-पत्र देने के संबंध में।

0000

राज्य शासन द्वारा विषयांकित संस्था द्वारा आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र को मिला
 पर संस्था को सीबीएसई. से संबद्धता हेतु यह अनापत्ती प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों
 दिया जाता है :-

- (1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य बोर्ड से संबद्धता मिलने के उपरान्त
 संस्था/समिति द्वारा म.प्र. शासन एवं लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा
 समय-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जारी किए जाने वाले
 पालन किया जायेगा।
- (2) संस्था की प्रबंध कारिणी समिति में जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उनका
 प्रतिनिधि कार्यकारिणी में सम्मिलित करना होगा।
- (3) शिक्षण संस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों
 क्रियाशील अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था करना एवं
 संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्था के संबंध में सरकार द्वारा
 किए जाने वाले निर्देशों का पालन संस्था को करना होगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के आदेश
 तथा आवेदन संख्या


 Principal

ST. PIUS SR. SEC. SCHOOL
 Anand Nagar, KHANDWA (M.P.)



Manager
 St. Pius Sr. Secondary School
 KHANDWA

प्रतिलिपि :-

1-

सचिव, (संबन्धित संस्था/समिते) अनामपत्ती प्रमाण-पत्र संस्था केन्द्र मोपाल, खण्डवा सेकेण्ड्री स्कूल, खण्डवा जिला खण्डवा नगर को और अर्पित। अनामपत्ती शिक्षण संस्था सेन्ट पोल्स हायर सेकेण्ड्री स्कूल, खण्डवा जिला खण्डवा नगर को सी.बी.एस.ई./आर्इ.सी.एस.ई. से राबड्डता प्रमाण-पत्र हेतु अनामपत्ती प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

- (1) संस्था सी.बी.एस.ई./आर्इ.सी.एस.ई. के अनुसूचित मापदण्डों को पूर्णतः पालनी है अथवा नहीं, इसका परीक्षण केन्द्रीय नव्यनिक शिक्षा मंडल द्वारा किया जायेगा।
- (2) संस्था द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु राज्य शासन को प्रस्तुत आवेदन पत्र या शपथ-पत्र में दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर या उसका पालन नहीं करने पर अथवा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर या प्राप्त शिकायत आदि में सही पाये जाने पर राज्य शासन द्वारा जारी अनापत्ती प्रमाण-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

2-
3-
4-

आयुक्त, लोक शिक्षण म.प्र., मोपाल ।
जिला शिक्षा अधिकारी, जिला खण्डवा, म.प्र.।
ऑर्डर बुक ।

M. S. Dalia
25/5/08

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

M. S. Dalia

St. Pius Hr. Sec. School
Anand Nagar Khandwa
Pin-450001.

S. S. Dalia
Principal
St. Pius Hr. S.S.
Khandwa (M.P.)

S. S. Dalia

Principal

ST. PIUS SR. SEC. SCHOOL
Anand Nagar, KHANDWA (M.P.)

M. S. Dalia

Manager

St. Pius Sr. Secondary Schoo
KHANDWA